



सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोज़ा, (उत्तराखण्ड)
कुलसचिव कार्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोज़ा –263601
कुलसचिव

www.ssju.ac.in

e-mail-registrarsjjuu@gmail.com

पत्रांक : SSJU/मा0 / 2024-25 / 1251

दिनांक— 06.06.2024

संशोधित


सेवा में,
निदेशक,
समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय / निजी संस्थान,
सम्बद्ध सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोज़ा।

विषय— NEP प्रवेश नियम सत्र 2024-25 प्रेषित करने के संबंध में।
महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक:SSJU/मा0 / 2024-25 / 1244 दिनांक:04.06.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2024-25 के स्नातक प्रवेश हेतु NEP प्रवेश नियम आपको संलग्न कर प्रेषित किये गये थे। उक्त नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है, कृपया संलग्न प्रवेश नियमों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


कुलसचिव, **सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय**
अल्मोज़ा उत्तराखण्ड

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. नोडल समर्थ को सूचनार्थ प्रस्तुत।
2. निजी सचिव अपर सचिव उच्च शिक्षा, देहरादून को अपर सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

भवदीय,


कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय

अल्मोज़ा उत्तराखण्ड

संशोधित प्रवेश नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय

माल रोड, अल्मोड़ा- 263601 (उत्तराखण्ड)



Soban Singh Jeena University

Mall Road, Almora-263601 (Uttarakhand)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आधारित



www.ssju.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों

(बी0ए0, बी0एस-सी0, बी0कॉम0)

के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश

2024


प्रवेश नियम
(सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर / महाविद्यालय / संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय-1

साधारण नियम-

- 1-1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय / संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1-2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण / परिवर्तन / विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1-3 परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश हेतु परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी अनन्तिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रवेश समितियाँ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आवेदनकर्ताओं (आवेदन पत्र) का आंकड़ा (Data) Excel Format में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उपरोक्त डाटा डाउनलोड करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को इमेल के माध्यम से भेजने के लिए सूचित किया जा सकता है। परिसर / महाविद्यालय / संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र / फॉर्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1-4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में अपने आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार / आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के सम्मक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1-5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

कुलसचिव



सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अन्तर्गत परिसर

1-6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1-7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।


(ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1-8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1-9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत "धोखाधड़ी से प्रवेश लेना" माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यादिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।


कुलसचिव
सोबन सिंह जीना शिक्षणविभाग
अलखिया, रायपुरा

1-10 प्रवेशार्त् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय / संस्थान / संकाय / विभाग में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1-11 अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है :

1- अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2- अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3- अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वेधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा-

(1) महिलाएं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	05 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता-क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1-12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

- Extension in date of admission upto 30 days.
- Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.
- Waiving of domicile requirements.

कुलसचिव



सोबन सिंह जीना दिग्दर्शक
अध्यक्ष, उत्तराखण्ड

1-13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा—

- (क) एन0सी0सी0 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक
- (ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)— 20 अंक
- (ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन तथा पति/पत्नी/सगा भाई/बहन— 20 अंक
- (घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध-सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई/बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन 20 अंक
- (ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 50 अंक
- (च) अन्तर- विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर 40 अंक
- (छ) शासन द्वारा/खेल फ़ेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर 30 अंक
- (ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- (झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
- (ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक
- (ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक
- (ठ) अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट— उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1-14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।



कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विनवीत्यालय
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1-15 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं, पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम 45 दिन (पन्द्रह दिन) के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1-16 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड-ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1-6./2007 (CPR-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि/सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।

1-17 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1-18 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिश्चितकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।

1-19 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैगिंग संबंधी विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में शैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। शैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।


कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय

अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

अर्हता निर्धारण के नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर / महाविद्यालय / संस्थान हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

अध्याय-2 अर्हता / योग्यता सूची निर्धारण के नियम-

2-1

स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट / Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् / यूजी0सी0 से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :

- (1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
- (2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)
- (3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय में 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)।
यदि दो अभ्यर्थियों के इण्टरमीडिएट के प्राप्तांक/मेरिट अंक, जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की हों, बराबर होते हैं तो वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।
- (4) दृश्य कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट परीक्षा किसी भी विषय के साथ 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)
- (5) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।
- (ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र/छात्रा पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता/चाहती है तो ऐसे छात्र/छात्रा द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा, जिसके उपरान्त ऐसे छात्र/छात्रा को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में



कुलसचिव


सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
उत्तराखण्ड

से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर / महाविद्यालय की प्रवेश ससिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

- 2-2 विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आए व्यक्तियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन से वर्धित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।
- 2-3 शिक्षणोत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों / संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 2-4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का आगले सेमेस्टर में अर्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
- 2-5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता-क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।
- 2-6 (a) **For Bachelor of Science (B.Sc.):**

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Mathematics Groups :		
Group A	Group B	Group C
Mathematics	Physics	Chemistry Statistics Computer Science Information Technology Geology Military Science


सोबन सिंह जीना कुलाचार्य
अन्तर्निष्ठा, र.क.

<u>Biology Groups:</u>		
Group A	Group B	Group C
Botany	Zoology	Chemistry Forestry Information Technology Geology Military Science

(b) For Bachelor of Arts (B.A.):


अभ्यर्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subject) का चुनाव निम्नलिखित में से दो प्रथक-प्रथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) को निम्नलिखित समूहों से चुनेगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अलग-अलग समूहों से ही चुने जा सकेंगे।

A	B	C	D	E	F
ENGLISH LITERATURE	DRAWING AND PAINTING	GEOGRAPHY	EDUCATION	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE
KUMAUNI BHASA	ECONOMICS HOME SCIENCE	HISTORY	SOCIOLOGY		
SANSKRIT LITERATURE	PHYSICAL EDUCATION	YOGA MUSIC			
	PSYCHOLOGY ANTHROPOLOGY	MILITARY SCIENCE			

(c) For Bachelor of Commerce (B.Com.):

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेंगा।

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business Regulatory Framework	Business Organisation Management Business Communication

कुलसचिव

सोबन सिंह जी
अलगोवा, रायपुर

(d) For Bachelor of Fine Arts (B.F.A) :

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं।
अभ्यर्थी मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर
सकेगा।

Group A	Group B	Group C
Fundamental of Visual Arts	Drawing	(a)- Design
		(b)- Indian Folk and Tribal Art

वैधानिक नियन्त्रण- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।


कूलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोज़ा

कूलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोज़ा

प्रारूप (क)
छात्र द्वारा शपथ-पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूंगा/रखूंगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में भेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर-

प्रति हस्ताक्षरित

(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)


कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय

उत्तरांचल प्रदेश, रायबरेली

प्रारूप (ख)
पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती जो मेरे संरक्षण में रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकासी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर— पिता / अभिभावक



कुलराज सिंह

योगेश सिंह जीव विज्ञान विभाग
उत्तमोद्यम संस्कूल

अध्यादेश (ORDINANCE)

बी0ए0 / बी0एस-सी0 / बी0 कॉम0 / बी0एफ0ए0 पाठ्यक्रम हेतु

(शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से प्रभावी)

1. परिभाषाएं—

1.1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)—

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री यथा— बी0ए0, बी0एस0-सी0 एवं बी0कॉम0 (तीन वर्षीय) एवं बी0एफ0ए0 (चार वर्षीय)।

1.2 संकाय (Faculty)—

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं दृश्यकला संकाय इत्यादि।

1.3 विषय (Subject)—

1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

1.4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper)

1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।


1.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

2. मुख्य (Major) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

(Annexure – 1)

2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के तीन मुख्य विषयों (Three Major Subjects) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

2.2 विद्यार्थी को प्रवेश के समय दृश्य कला संकाय का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के तीन मुख्य विषयों (Three Major Subjects) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (On Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह चार वर्ष (प्रथम से आठवें सेमेस्टर) तक कर सकता है।


कुलसचिव

सोहन सिंह जीना निदेशिका
अलगोखा, जलवायवशास्त्र

- 2.3 बी0ए0, बी0एस0-सी0 एवं बी0 काम0 में चौथा माइनर इलेक्टिव विषय (Fourth Minor Elective Subject) विद्यार्थी को अपने संकाय को छोड़कर किसी भी अन्य संकाय (Other Faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.4 चौथा माइनर इलेक्टिव विषय / कोर्स (Fourth Minor Elective Subject) किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।
- 2.5 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों / संस्थानों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) में परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के उपरान्त ही विषय में परिवर्तन कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 2.6 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए बी0ए0, बी0एस0-सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 2.7 माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) का चयन विद्यार्थी द्वारा मुख्य विषय (Major Subject) के अतिरिक्त अथवा अन्य संकाय से करना अनिवार्य होगा।
- 2.8 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय / पेपर / प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आवंटित कर सकता है।
- 2.9 विद्यार्थी को परिसर / महाविद्यालय में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव सम सेमेस्टर (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में करना होगा।
- 2.10 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय / पेपर कि कक्षाओं सम्बन्धित फ़ैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।
- 2.11 विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर माइनर इलेक्टिव (Minor Elective) भारत सरकार / यू0जी0सी0 / उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफ़ार्मों में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी पूर्ण कर सकते हैं।

2.12 मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Open Online Course)

- 2.12.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 percent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality - assured MOOC programmes offered on the

SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

2.12.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त आपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCs इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यू0जी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे आपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

(Annexure-1)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स के प्रत्येक सेमेस्टर) में 3 क्रेडिट का एक-एक कौशल विकास कोर्स (3X4=12) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा।

4. सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course)

(Annexure-1)

4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) करना अनिवार्य होगा।

4.2 विद्यार्थी को हर सह-पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. शोध परियोजना (Research Project)

(Annexure-1)

5.1 बी0ए0, बी0एस0-सी0 एवं बी0काम0 स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में तद्यु शोध परियोजना करनी होगी।

5.2 बी0एफ0ए0 स्तर पर विद्यार्थी को चौथे वर्ष में तद्यु शोध परियोजना करनी होगी।

5.3 बी0ए0, बी0एस0-सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना



कुलसचिव

सोहन सिंह जीवा मण्डलियालय

अन्तर्गत, उत्तराखण्ड

- (interdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंटरिप्टल ट्रेनिंग/इंटरनैशियल/सर्व वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 5.4 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से भी लिया जा सकता है।
- 5.5 बी0ए0, बी0एस0-सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी तीसरे वर्ष के अंत में (छठे सेमेस्टर के अंत में) दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर/आन्तरिक परीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 5.6 बी0एफ0ए0, स्तर पर विद्यार्थी चौथे वर्ष के अंत में (आठवें सेमेस्टर के अंत में) दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर/आन्तरिक परीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 5.7 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

(Annexure-1)

- 6.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।
- 6.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- 6.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जाएंगे, जिसके दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
- 6.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।
- एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उस पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि-क्रेडिट (re-credit) अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वारस्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

- 6.5 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 6.6 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Three Major Subject) के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।
- 6.7 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनके स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरेक्जिजिट् (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 6.8 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट / डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि-क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

7. स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	9.1- 10
A+	Excellent	81-90	8.1-9.0
A	Very Good	71-80	7.1-8.0
B+	Good	61-70	6.1-7.0
B	Above Average	51-60	5.1-6.0
C	Average	41-50	4.1-5.0
P	Pass	33-40	3.3-4.0
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

8. उत्तीर्ण प्रतिशत

- 8.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।


कुलसचिव

- 8.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) **Credit course** हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।
- 8.3 सह-पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project **Qualifying**) है तथा इनके उत्तीर्णक 40 प्रतिशत होंगे।
- 8.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।
- 8.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।
- 8.6 सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।
- 8.7 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।
- 8.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

9. कक्षान्तीति (Promotion)

- 9.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।
- 9.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात् वर्तमान वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :
- विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्ष (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा **Qualifying Papers** (सह-पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।
- 9.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

10. बैक पेपर परीक्षा

- 10.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
- 10.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।
- 10.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स / पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर, जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।
- 10.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स / पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा कालबाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

11. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सत्ता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट / डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

12. SGPA एवं CGPA की गणना –

12.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए –	यहाँ पर –
$SGPA (S_j) = \frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$	$C_i =$ number of credits of the ith course in jth semester
	$G_i =$ grade point scored by the student in the ith course in jth semester
$GPA = \frac{\sum(C_j \times S_j)}{\sum C_j}$	यहाँ पर –
	$S_j =$ SGPA of the jth semester
	$C_j =$ total number of credits in the jth semester

12.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :
समतुल्य प्रतिशत = $CGPA \times 10$

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का आगणन निम्नवत् किया जायेगा :

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment	External Assessment	Total Max Marks-	Grade	Grade Points	Grade Value**
Physics	Course1 (Th)	Major	4	Max marks- 25	Max Marks- 75	100	B	5.8	23.2
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	9.2	18.4
	Course1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	8.9	35.6
Chemistry	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	8.9	17.8
	Course1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	7.7	46.2
Economics	Course1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	7.7	46.2
History	Course1 (Th)	Major	4	21	60	81	A+	8.1	32.4
Personality Development	Co-Curricular Courses	Co-Curricular Courses	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						173.6
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	Theory Evaluation Max Marks- 40	Training Evaluation Max Marks- 60	67	A+	8.7	26.1
	Grand Total		25			87			199.7

** Grade Value = Grade Point x Credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total Grade Value / Total Credits = $199.7 / 25 = 7.98$ (In a semester)

Note : Take only two digits after decimal shall be considered in all the calculations.

CALCULATION OF CGPA

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
CREDIT : 25	CREDIT : 21	CREDIT : 25	CREDIT : 21
SGPA : 8.36	SGPA : 6.08	SGPA : 8.90	SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade value / Total Credits

(In all the semester till now)

Thus, CGPA = $(25 \times 8.36 + 21 \times 6.08 + 25 \times 8.90 + 21 \times 7.22) / 92 = 7.73$

Hence, equivalent percentage = $7.73 \times 10 = 77.30$

And the **Division** will be **First**

12.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	4.5 अथवा उससे अधिक तथा 6.00 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	3.3 अथवा उससे अधिक 4.5 से कम CGPA

13. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

- 13.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 13.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 13.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

14. व्याख्या खंड/वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्दे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव


सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा



सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तरांचल प्रदेश

ANNEXURE 1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co- Curricular	Industrial training/ Survey/ Reserch Project	(Minimum Credits)	(Cumulative Minimum Credits)
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Own /Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	for the year	Required for Award of Certificate /Diploma/ Degree
1	I	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(46) Certificate in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(92) Diploma in Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2 (5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1	40	(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2 (5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1		
4	VII	Th-4 (5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1(4/5/6)			1	52	(184) Bachelor (Research) In Faculty
	VIII	Th-4 (5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1		
5	IX	Th-4 (5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1	48	(232) Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1		
6	XI	2	1 Research					1	16	(248) PGDR in Subject
		(6)	(4) Methodology					(Qualifying)		
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Thesis		Ph.D. in Subject


 कुलसचिव
 सोहन सिंह जी. वि. विद्यापीठ
 अल्मोड़ा, उत्तरांचल